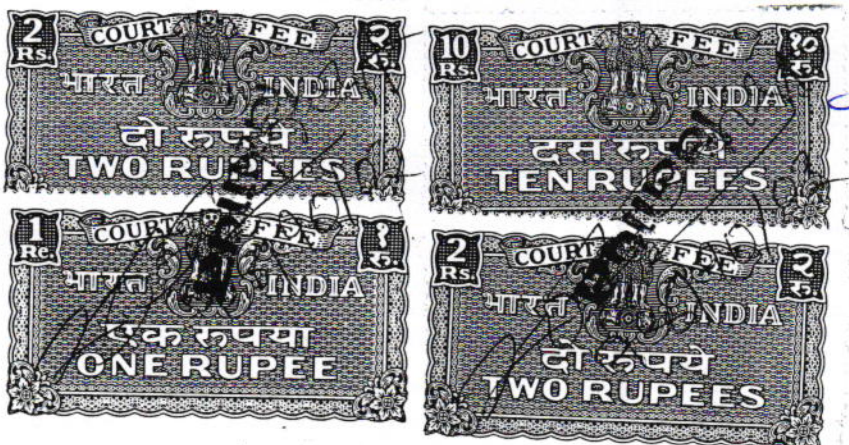

COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES
COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE
COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

93

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र0क्र0 103 निगरानी

R 1532 III/03

2 11 OCT 2003

रमेशसिंह पुत्र जरदानसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम बबेडी तहसील एवं जिला भिण्ड (म0प्र0) ------ प्रार्थी

विरुद्ध

1- जगदीशसिंह
2- रामनिवास सिंह } पुत्रगण पूरनसिंह
3- हरिकण्ठ सिंह
4- भैरोसिंह पुत्र देवीदयाल सिंह
5- प्रकाशवती विधवा गोपालसिंह
6- बलवीरसिंह
7- रामकिशोर सिंह } पुत्रगण गोपालसिंह
8- नाथूसिंह पुत्र हवलदार सिंह
9- सोवरनसिंह दत्तक पुत्र जबरसिंह

समस्त जाति ठाकुर निवासीगण ग्राम बबेडी मजरा पूरनसिंह का पुरा तहसील एवं जिला भिण्ड (म0प्र0) ------ प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग दिनांक 30-6-03 धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 प्र0क्र0 207/2001-2002 अपील ।

श्रीमान्

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(1) यह कि अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञाएँ कानूनन सही नहीं हैं ।

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1532–तीन/2003 जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभि.के ह
14.3.16	यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 207/01–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–6–2003 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धीरा 50 के अंतर्गत पेश हुई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी एंव अनावेदक क्र–8 के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा के तर्क सुने। शेष अनावेदक रजि0डाक से सूचना देने के वाद भी अनुपस्थित रहे है उनके विरूद्ध एकपक्षीय है। 3/ विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव निगरानी मेमो के आधारों तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि विचारण न्यायालय में हुये सहमति बटवारा आदेश दिनांक 14–3–96 के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील क्रमांक 80/2000–01 दिनांक 13–8–2000 को अर्थात 4 वर्ष 5 माह के अंतर से प्रस्तुत की थी, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 25–7–2002 से अवधि–वाह्य पाकर निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील क्रमांक 207/01–02 प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 30–6–2003 निरस्त की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 25–7–2002 यथावत् रखा गया। 4/ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से यह तथ्य निर्विवाद है कि सहमति बटवारा आदेश दिनांक 14–3–96 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष दिनांक 13–8–2000 को अर्थात 4 वर्ष 5 माह के अंतर से अपील प्रस्तुत हुई है, तब सहमति बटवारा के विरूद्ध विलम्ब	

2 R 1532-एक/03 (भिण्ड)

से प्रस्तुत अपील में विलम्ब क्षमा करना चाहिये अथवा नहीं ?

1. भू राजस्व संहिता,1959 (म0प्र0)– धारा 44 सहपठित 47 – समय बर्जित अपील – विलम्ब माफी का आवेदन – आदेश की जानकारी का श्रोत नहीं दर्शाया – दिन प्रतिदिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं – विलम्ब माफ नहीं किया जायेगा।

2. भू राजस्व संहिता,1959 (म0प्र0)– धारा 47 – अनुचित विलम्ब क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोद्भूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।

अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड द्वारा अपील कमांक 80/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 25-7-2002 तथा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ब्दारा प्रकरण कमांक 207/01-02 में पारित आदेश दिनांक 30-6-2003 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ब्दारा प्रकरण कमांक 207/01-02 में पारित आदेश दिनांक 30-6-2003 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य